<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

16.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल) और उसके निदेशकों/शेयरधारकों-सुशील अंसल, प्रणव अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 16.12.2025 की अभियोजन शिकायत दर्ज की है। यह शिकायत धन शोधन के एक मामले में दर्ज की गई है, जो जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के तहत अनुसूचित अपराधों के उल्लंघन से उत्पन्न हुआ है।

ईडी ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) द्वारा जल अधिनियम, 1974 की धारा 43 और वायु अधिनियम की धारा 37 के तहत किए गए अनुसूचित अपराधों के लिए दायर अभियोजन शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें एपीआईएल द्वारा गुरुग्राम में स्थित अपनी दो रियल एस्टेट परियोजनाओं - 'सुशांत लोक-I' और 'एसेन्सिया' में पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करना शामिल था।

ईडी की जाँच में पता चला कि एपीआईएल ने कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) 'सुशांत लोक फेज-1' स्थापित नहीं किया और उत्पन्न अपशिष्ट जल को हुडा सीवरेज लाइन से गुजार दिया, जबकि 'एसेन्सिया' में स्थापित एसटीपी अपर्याप्त क्षमता का पाया गया। एचएसपीसीबी टीम के निरीक्षण के दौरान, स्थापित एसटीपी भी शून्य संचालन और रखरखाव के साथ त्यागे पाए गए।

ईडी की जाँच में आगे पता चला कि घरेलू अपशिष्ट जल/अनुपचारित सीवेज जल को मानदंडों के अनुसार उपचारित नहीं करके, एपीआईएल ने एक तरफ सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा किया, तो दूसरी तरफ, यह परिणामस्वरूप होने वाले लाभ का आनंद लेता रहा। कंपनी के प्रमोटरों ने अपशिष्ट का उपचार करने या एचएसपीसीबी के मानदंडों के अनुसार कोई उपाय करने की परवाह नहीं की और इस प्रकार, उन्होंने अनुचित लाभ उठाया और उक्त आपराधिक गतिविधि द्वारा 10.55 करोड़ रुपये के 'अपराध के आगम' उत्पन्न किए।

मामले में इससे पहले, ईडी ने गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और लुधियाना में स्थित अपनी निदेशकों/शेयरधारकों/लाभकारी मालिकों के स्वामित्व वाली 10.55 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों (वाणिज्यिक इकाइयां और स्थान) को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।